Regd. No. CHD/0093/2009--2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2010
(BHADRA 12, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd September, 2010

No. 23—HLA of 2010/54.—Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 23—HLA of 2010

GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY HISAR (AMENDMENT) BILL, 2010

A

Bill

further to amend Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar Act, 1995.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Act, 2010.

Amendment of section 11 of Haryana Act 17 of 1995.

2. In the proviso to sub-section (2) of section 11 of Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar Act, 1995, for the figure "65", the figure "68" shall be substituted.

Repeal and saving

3. (1) Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 8 of 2010), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. In the State of Haryana Guru Jambheshwar University of Science & Technology Hisar was incorporated through Haryana Act No. 17 of 1995 to establish & incorporate a teaching cum affiliating University to facilitate and promote studies and research in emerging areas of higher education with focus on new frontiers of technology, pharmacy, environmental studies, non-conventional energy sources and management studies, and also to achieve excellence in these and connected fields.

2. Association of Indian Universities in 83rd meeting of their General Body held on November 18, 2008 has resolved to recommend the proposal that the term of the Vice-Chancellor should be 5 years and the age of retirement be 70 years.

3. Guru Jambheshwar University of Science & Technology Hisar and Deenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology Murthal have also recommended for amendment in their respective Acts for increasing the age of superannuation of the Vice-Chancellor from 65 years to 70 years.

4. For appropirate growth of the University the Vice-Chancellor select should hold the office for longer period and to select Vice-Chancellor having more academic/research/administrative experience, superannuation of the Vice-Chancellor need to be suitably enhanced.

5. In view of the above, the Council of Ministers in its meeting held on 27.4.2010 has considered and approved the increase in age of superannuation of Vice-Chancellor in the above Technical University of the State from 65 years to 68 years.

6. Hence, this Bill namely Guru Jambheshwar University of Science & Technology Hisar (Amendment) Bill, 2010.

RANDEEP SINGH SURJEWALA,
Parliamentary Affairs Minister,
Haryana.

Chandigarh :
The 3rd September, 2010.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2010 का विधेयक संख्या 23-एच० एल० ए०

गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार (संशोधन) विधेयक, 2010

गुरु जम्भेश्वर विज्ञात तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार अधिनियम, 1995, को आगे संशोधित करने के लिए विघयेक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकता है।

1995 के हरियाणा अधिनियम 17 की धारा 11 का संशोधन।

2. गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हि... अधिनियम, 1995, की धारा 11 की उपधारा (2) के परन्तुक में, "65" अंकों के स्थान पर, "68" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 8), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों की व्याख्या

हरियाणा राज्य में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार को 1995 हरियाणा अधिनियम संख्या 17 द्वारा प्रौद्योगिकी फार्मेसी, पर्यावर्णात्मक अध्ययन, गैर परम्परागत उर्जा स्त्रोत तथा प्रबन्धक अध्ययन के नए सीमांतों पर फोक्स सहित उच्चतर शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में अध्ययन को सुकर बनाने तथा उन्नत एवं अनुसंधान के लिए अध्ययन एवं सहबद्ध विश्वविद्यालय स्थापित तथा सम्मिलित करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए संस्थापित की गई थी।

2. भारतीय विश्वविद्यालयों के संगठन की साधारण निकाय की 83वीं बैठक जो 18 नवम्बर, 2008 को बुलाई गई थी, में यह प्रस्ताव पारित करने की शिकायत की गई थी कि कुलपति की अवधि 5 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होनी चाहिए।

3. गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार तथा दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल, सोनीपत में भी कुलपति की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष से बढ़ा कर 70 वर्ष करने के लिए उनके सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधित करने की सिफारिश की है।

4. विश्वविद्यालय के उचित विकास के लिए कुलपति का चयन लम्बी अवधि तक पद धारण करने के लिए होना चाहिए तथा कुलपति के चयन के लिए उसके अधिक शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशासकीय अनुभव होना चाहिए, अधिवर्षिता उचित रूप से बढ़ाई जानी आवश्यक है।

5. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्री परिषद ने 27.4.2010 को हुई बैठक में राज्य के उपरोक्त तकनीकी विश्वविद्यालयों में कुलपति की अधिवर्षिता की आयु में 65 वर्ष से 68 वर्ष वृद्धि के लिए विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया।

6. अत: यह विधेयक नामत: गुरू जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार (संशोधन) विधयेक, 2010.

रणदीप सिंह सुरजेवाला,
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
3 सितम्बर, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।